भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3334
जिसका उत्तर मंगलवार 01 जनवरी, 2019 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहन

3334. श्री पी सी मोहन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने भारत में (हाइब्रिड और) इलैक्ट्रिक वाहन के त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण (एफएएमई) राज-सहायता प्राप्त योजना के अंतर्गत 640 इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु कर्नाटक राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है;
(ग) क्या सरकार एफएएमई भारत योजना के अंतर्गत इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन दे रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) 2031 तक देश को संपूर्ण इलैक्ट्रिक वाहन बाजार में बदलने के अपने मिशन को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी नहीं।

(ख): उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): जी हाँ। फेम-इंडिया योजना के मांग सृजन के फोकस एरिया के तहत, इलैक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के खरीदारों को एक्सईवी की खरीद के समय डीलर द्वारा खरीद मूल्य में अपफ्रंट छूट दी जाती है। एक्सईवी की खरीद के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों के ब्यौरे समय-समय पर संशोधित योजना की राजपत्र अधिसूचना के अनुबंध-13 में दिए गए हैं, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

(ङ): भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने वर्ष 2031 तक देश को एक सम्पूर्ण इलैक्ट्रिक वाहन बाजार बनाने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि, सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों (हाइब्रिड वाहनों सहित) के लिए एक मिशन योजना अर्थात नेशनल इलैक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 (एनईएमएमपी) तैयार की है। एनईएमएमपी 2020 में ऐसे वाहनों के लिए बैटरी प्रौद्योगिकी के मांग सृजन सहित प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास की सहायता करने के लिए अनेक हस्तक्षेपों के माध्यम से इलैक्ट्रिक कार और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण एवं उपयोग को सुगम बनाने और वर्ष 2020 तक ऐसे वाहनों के विनिर्माण को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की योजना उपलब्ध है।

इस मिशन के भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वयन हेतु एक फेम- इंडिया योजना [भारत में (हाइब्रिड और) इलैक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण] अधिसूचित की है। इस समय, योजना का चरण-I कार्यान्वयनाधीन है, जो आरंभ में दिनाक 31 मार्च, 2017 तक दो वर्षों की अवधि के लिए था, लेकिन इसे दिनांक 31 मार्च, 2019 अथवा फेम-II की अधिसूचना, जो भी जल्दी हो, तक बढ़ा दिया गया है।

*****